Himachal Pradesh
Board of School Education
Dharamshala, Himachal Pradesh

क्रमांक:हि0शि0बो0(31)/HPSOS admin /PCP Classes/मार्च, 2025/19502   दिनांक: 22 .12.2024

"महत्वपूर्ण दिशानिर्देश"

प्रेषित:-

समस्त समन्वयक/सहायक समन्वयक,
हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय अध्ययन केन्द्र,
हिमाचल प्रदेश।

विषय:- **हि0 प्र0 राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत संचालित करवाई जाने वाली आठवीं, दसवीं और जमा दो कोर्सों में पंजीकृत परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (PCP) का आयोजन CCTV कैमरों की निगरानी में करवाये जाने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश।**

महोदय/महोदया,

हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय (HPSOS) के माध्यम से आठवीं, दसवीं और जमा दो कोर्सों में पंजीकृत परीक्षार्थियों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (PCP) का संचालन प्रदेश के हि० प्र० रा०मु०वि० के अध्ययन केन्द्रों में करवाया जाना है। अतः समस्त पात्र अध्ययन केन्द्रो को निर्देश दिए जाते है कि अपने अध्ययन केन्द्र में पंजीकृत परीक्षार्थियों को इस संदर्भ में आवश्यक रूप से अवगत करवाएं व निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:-

HPSOS

1. अधिसूचना सँख्या हि0शि0बो0(33)/BOD Meeting 113th-Item-24/2018/5602-5900/SOS Admin दिनांक:-10.01.2018 के अनुसार समस्त अध्ययन केन्द्र PCPs का आयोजन अपने ही विद्यालय में करवाएगें, बशर्ते कि उस अध्ययन केन्द्र में परीक्षार्थियों की सँख्या 25 या इससे अधिक हो।
2. जिन अध्ययन केन्द्रों में परीक्षार्थियों की सँख्या 25 से कम है इस स्थिति में PCPs का आयोजन निकटतम अध्ययन केन्द्र में करवाया जाएगा। PCPs का आयोजन किस अध्ययन केन्द्र में करवाया जाना है इसकी जानकारी समयानुसार सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र (जहां से परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र भरा गया है) द्वारा परीक्षार्थियों को दी जाएगी।
3. PCPs के आयोजन के लिये अध्ययन केन्द्र के समन्वयक स्वयं अपने स्तर पर व्यवस्था करें। इस कार्य के लिये अध्ययन केन्द्र अपने संस्थान के अध्यापकों के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी विद्यालय अथवा बोर्ड कार्यालय द्वारा संबद्वता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों तथा सेवानिवृत अध्यापको (तीन वर्ष तक के मान्य होगें) को भी नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त अध्यापकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रति लैक्चर ₹ 80/- की दर से पारिश्रमिक देय होगा। नियुक्त अध्यापकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
4. PCPs कक्षाओं का आयोजन केवल ऐसे परीक्षार्थियों के लिए किया जाएगा, जिनका पंजीकरण मार्च, 2025 के लिए पहली बार हुआ है। Reappear और Improvement of Performance/Special Marks Improvement Exam के तहत पंजीकृत छात्र PCPs कक्षाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. जमा दो कक्षा में सीधे विज्ञान संकाय में पंजीकृत समस्त छात्रो का PCPs कक्षाओं का संचालन आवश्यक रूप से करवाएं।
6. PCPs के सफल आयोजन हेतु अध्ययन केन्द्र समय सारणी कक्षावार तैयार करें तथा इसकी प्रति सूचना पट्ट पर भी लगायें और सप्ताहांत की छुटियों में व अपनी सुविधा के अनुसार 15.01.2025 से 28.02.2025 तक PCPs कक्षाओं का आयोजन करें। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि मार्च, 2025 के PCPs कक्षाओं हेतु नियुक्त अध्यापकों की सूची विषयवार व पूर्ण रूपरेखा तैयार करके इसकी सूचना बोर्ड कार्यालय को दिंनाक 14.01.2025 तक दें ।

7. PCPs कक्षाओं का आयोजन लिखित तथा प्रायोगिक दोनो पेपरों के लिये किया जाना है तथा PCP Lectures की संख्या किसी एक विषय विशेष में उपस्थित परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या पर ही निर्भर करेगी। PCP Lectures की संख्या का निर्धारण परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार निम्न प्रकार से करें:-

Sr. No.	No. of Learners in a particular Subject	No. of PCP Lectures for Theory Subject	No. of PCP Lectures for Subject involving Practical
1.	1-10	2	3
2.	11-25	4	6
3.	26-50	10	12
4.	51-100	20	24

यदि किसी विषय विशेष में परीक्षार्थियों की संख्या 100 से अधिक हो जाती है तो निम्नलिखित आधार पर Sections बनायें :-

Sr. No.	No. of Learners in a particular subject	No. of Sections
1.	1-100	1
2.	101-200	2
3.	201-300	3
4.	301-400	4
5.	401-500	5

8. PCPs के आयोजन से सम्बन्धित एक रजिस्टर तैयार करें तथा इसमें PCP के आयोजन का तिथिवार विवरण/परीक्षार्थियों की Attendance व अध्यापक जिन्होंने PCPs में भाग लिया है का विवरण रखें।

9. PCPs कक्षाओं का आयोजन समस्त अध्ययन केन्द्र CCTV कैमरों की निगरानी में करवाएं व कैमरों का Backup अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

10. PCPs आयोजित करने वाले अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम की समाप्ति उपरान्त संलग्न Annexure-1 पर अध्ययन केन्द्र में आयोजित व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा भर कर CCTV कैमरों की रिकॉडिंग (send email to hpbosesososadm.31@gmail.com) सहित दिंनाक 31.03.2025 तक बोर्ड कार्यालय को अनुभाग अधिकारी, हि० प्र० राज्य मुक्त विद्यालय प्रशासन शाखा, हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र० 176213 पते पर पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रेषित करें।

11. Annexure -1 और CCTV कैमरों की रिकॉडिंग बोर्ड कार्यालय में जमा नही करवाने की स्थिति में सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को PCPs भुगतान नहीं किया जाएगा जिसके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

संलग्न: उपरोक्त।

भवदीय

Signed by
Vishal Sharma
Date: 22-12-2024 12:05:24

डा० (मेजर) विशाल शर्मा, हि०प्र०से०
सचिव

HPSOS